

समाचार

लाकडाउन उल्लंघन पर 7600 रुपये जुर्माना



कोरबा 17 मई 2021 –नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा विभिन्न जोनांतर्गत लाकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही करते हुए कल और आज 7600 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया। बेवजह घूमने वालों, लाकडाउन के दौरान बिना अनुमति वाली दुकान खोलने वालों आदि पर यह कार्यवाही की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालको जोनांतर्गत 2600 रुपये, बांकीमोंगरा जोनांतर्गत 2000 रुपये, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 1500 रुपये, दर्री जोनांतर्गत 1500 रुपये का अर्थदण्ड विभिन्न प्रकरणों पर लगाया गया तथा कड़ी हिदायत दी गई कि वे लाकडाउन का उल्लंघन न करें।